

[दि जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन (नम्बर 2) बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

## जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2)

### विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-20 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर संघ  
राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के  
संदाय और विनियोग को प्राधिकृत  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह  
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2)  
अधिनियम, 2020 है ।
- 5 2. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में  
विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग पांच खरब, तिरपन अरब, सत्रह करोड़,  
इक्यासी लाख रुपए से अनधिक है, अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की  
बाबत, 31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी पांच मास की अवधि के  
लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संदाय किए जाने होंगे ।
- 10 3. इस अधिनियम के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से  
दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत वे राशियां, जो अनुसूची में  
अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, उक्त वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई  
हैं ।

संक्षिप्त नाम ।

वित्तीय वर्ष 2019-20  
के लिए जम्मू-कश्मीर  
संघ राज्यक्षेत्र की  
संचित निधि में से  
5,53,17,81,00,000  
रुपए का निकाला  
जाना ।

विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

अनुदान की मांग	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित व्यय	योग	
1	2	3			
		₹0	₹0	₹0	
1	साधारण प्रशासन विभाग	राजस्व	2,08,97,21,000	10,20,95,000	2,19,18,16,000
		पूंजी	1,22,91,81,000	..	1,22,91,81,000
2	गृह विभाग	राजस्व	36,84,34,87,000	..	36,84,34,87,000
		पूंजी	6,60,85,93,000	..	6,60,85,93,000
3	योजना विभाग	राजस्व	47,24,79,000	..	47,24,79,000
		पूंजी	9,30,05,09,000	..	9,30,05,09,000
4	सूचना विभाग	राजस्व	57,12,87,000	..	57,12,87,000
		पूंजी	75,00,000	..	75,00,000
6	विद्युत विकास विभाग	राजस्व	56,60,90,93,000	..	56,60,90,93,000
		पूंजी	15,35,97,94,000	..	15,35,97,94,000
7	शिक्षा विभाग	राजस्व	54,11,97,85,000	..	54,11,97,85,000
		पूंजी	7,68,59,33,000	..	7,68,59,33,000
8	वित्त विभाग	राजस्व	42,30,25,51,000	18,06,01,32,000	60,36,26,83,000
		पूंजी	6,38,45,33,000	1,00,53,23,00,000	1,06,91,68,33,000
9	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	17,38,37,000	32,90,000	17,71,27,000
		पूंजी	1,50,00,000	..	1,50,00,000
10	विधि विभाग	राजस्व	5,95,90,60,000	36,08,70,000	6,31,99,30,000
		पूंजी	41,36,92,000	..	41,36,92,000
11	उद्योग और वाणिज्य विभाग	राजस्व	1,71,15,81,000	..	1,71,15,81,000
		पूंजी	4,87,97,18,000	..	4,87,97,18,000
12	कृषि विभाग	राजस्व	7,10,06,76,000	..	7,10,06,76,000
		पूंजी	3,18,97,24,000	..	3,18,97,24,000
13	पशु और भेड़ पालन विभाग	राजस्व	2,94,86,30,000	..	2,94,86,30,000
		पूंजी	1,31,84,08,000	..	1,31,84,08,000
14	राजस्व विभाग	राजस्व	2,09,86,35,000	..	2,09,86,35,000
		पूंजी	13,49,00,000	..	13,49,00,000
15	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग	राजस्व	1,92,67,35,000	..	1,92,67,35,000
		पूंजी	2,59,94,08,000	..	2,59,94,08,000
16	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	3,57,98,64,000	..	3,57,98,64,000
		पूंजी	14,82,62,28,000	..	14,82,62,28,000

1	2	3			
		रु0	रु0	रु0	
17	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	राजस्व	21,69,51,32,000	..	21,69,51,32,000
		पूंजी	7,92,85,91,000	..	7,92,85,91,000
18	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	14,66,76,90,000	..	14,66,76,90,000
		पूंजी	1,31,71,89,000	..	1,31,71,89,000
19	आवास और शहरी विकास विभाग	राजस्व	3,63,99,76,000	..	3,63,99,76,000
		पूंजी	6,15,85,74,000	..	6,15,85,74,000
20	पर्यटन विभाग	राजस्व	1,35,53,94,000	..	1,35,53,94,000
		पूंजी	2,59,35,75,000	..	2,59,35,75,000
21	वन विभाग	राजस्व	4,98,05,36,000	..	4,98,05,36,000
		पूंजी	99,10,88,000	..	99,10,88,000
22	सिंचाई विभाग	राजस्व	2,55,62,26,000	..	2,55,62,26,000
		पूंजी	5,95,06,32,000	..	5,95,06,32,000
23	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग	राजस्व	6,32,32,26,000	..	6,32,32,26,000
		पूंजी	8,79,19,87,000	..	8,79,19,87,000
24	आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग	राजस्व	1,35,03,16,000	..	1,35,03,16,000
		पूंजी	61,97,30,000	..	61,97,30,000
25	श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण विभाग	राजस्व	64,47,01,000	..	64,47,01,000
		पूंजी	46,39,65,000	..	46,39,65,000
26	मत्स्य विभाग	राजस्व	42,68,18,000	..	42,68,18,000
		पूंजी	25,97,77,000	..	25,97,77,000
27	उच्च शिक्षा विभाग	राजस्व	6,78,81,80,000	..	6,78,81,80,000
		पूंजी	1,07,70,00,000	..	1,07,70,00,000
28	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	3,10,84,36,000	..	3,10,84,36,000
		पूंजी	20,09,97,66,000	..	20,09,97,66,000
29	परिवहन विभाग	राजस्व	64,38,07,000	..	64,38,07,000
		पूंजी	1,13,66,60,000	..	1,13,66,60,000
30	जनजातीय कार्य विभाग	राजस्व	40,32,32,000	..	40,32,32,000
		पूंजी	86,43,48,000	..	86,43,48,000
31	संस्कृति विभाग	राजस्व	30,56,65,000	..	30,56,65,000
		पूंजी	13,80,92,000	..	13,80,92,000
32	उद्यान विभाग	राजस्व	77,67,38,000	..	77,67,38,000
		पूंजी	3,87,22,19,000	..	3,87,22,19,000
33	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग	राजस्व	4,13,23,84,000	..	4,13,23,84,000
		पूंजी	1,51,70,20,000	..	1,51,70,20,000
34	युवा सेवा और तकनीकी शिक्षा	राजस्व	2,75,57,29,000	..	2,75,57,29,000
		पूंजी	49,05,31,000	..	49,05,31,000

1	2		3		
			रु0	रु0	रु0
35	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	6,07,49,000	..	6,07,49,000
		पूंजी	31,12,06,000	..	31,12,06,000
36	सहकारिता विभाग	राजस्व	41,98,36,000	..	41,98,36,000
		पूंजी	4,21,50,000	..	4,21,50,000
<b>कुल योग :</b>			<b>4,34,11,94,13,000</b>	<b>1,19,05,86,87,000</b>	<b>5,53,17,81,00,000</b>

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 74 के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3937(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2019 को तारीख 31 अक्टूबर, 2019 की उद्घोषणा के परिणामस्वरूप जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), का0आ0 3938(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2019 के अनुसरण में, तारीख 31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के भाग के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि पर भारत व्यय और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के व्यय के लिए किए गए अनुदानों को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशियों को, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है।

**निर्मला सीतारामन**